ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार सरकार

कार्यालय आदेश

का०आ०सं0 :–2/अ०प्र०–1–91/2020(खंड) 02 /पटना, दिनांक :– 18-1-21

मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग के ज्ञापांक 4449 दिनांक 03.09.2020 के साथ संलग्न कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–2 के पत्रांक 3003 दिनांक 03.09.2020 के अनुसार कार्यपालक अभियंता द्वारा श्री शंभू कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–2 के विरूद्ध स्वेच्छाचारित बरतते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना उच्चाधिकारियों को सूचित किये एवं वरीय पदाधिकारी अथवा विभाग से अनुमति के बगैर श्री संजीव कुमार सिंह एवं श्री संदीप कुमार सिंह के विरूद्ध नाबार्ड योजना से निर्मित चतराघाट से नाननपैर पथ को चार हाईवा एवं एक चेन वाला पोकलेन मशीन से अन्यत्र मिट्टी ढुलाई करने के क्रम में पथ का करीब 450 मीटर क्षतिग्रस्त करने के लिए धोरैया थाना में प्राथमिकी संख्या–231/2020 दिनांक 02.09.2020 दर्ज कराये जाने की सूचना दी गयी।

2. उक्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री शंभू कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–2 को स्वेच्छाचारित बरतने, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना उच्चाधिकारियों को सूचित किये एवं वरीय पदाधिकारी अथवा विभाग से अनुमति के बगैर कार्य करने के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम ९(1)(क) के तहत कार्यालय आदेश संख्या–47–सह–पठित ज्ञापांक 1441 दिनांक 03.09.2020 द्वारा निलंबित करते हुए मुख्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा (शुद्धि पत्र ज्ञापांक 1446 दिनांक 04.09.2020) का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. तदोपरान्त श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 1447 अनु० दिनांक 04.09.2020 द्वारा आरोपों के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (4) में निहित प्रावधानों के तहत स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया।

4. विभागीय निदेश के आलोक में श्री शंभू कुमार, निलंबित कनीय अभियंता द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 08.09.2020 समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश भौतिक रूप से कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया था। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में सहायक अभियंता द्वारा थाना प्रभारी को आवेदन दिया गया था, जिसमें श्री कुमार ने मात्र गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया है।

साथ हीं उल्लेखित है कि पथ के क्षतिग्रस्त होने की सूचना श्री कुमार द्वारा उच्चाधिकारियों को दी गयी, जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता के मौखिक आदेश पर सहायक अभियंता द्वारा थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में श्री कुमार का गवाह के रूप में

हस्ताक्षर करना किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं है बल्कि ऐसा नहीं करना दायित्व के प्रति लापरवाही समझी जाती।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण में यह भी कहा गया है कि पथ को क्षतिग्रस्त करने वाले निजी व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस एवं प्रशासन को सूचना देना अपराध नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सरकारी सम्पति की सुरक्षा करना है। श्री कुमार द्वारा कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 3003 दिनांक 03.09.2020 का उल्लेख करते हुए अवगत कराया गया है कि संबंधितों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने में उच्चाधिकारियों आदेश प्राप्त था।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि श्री अजय कुमार, सहायक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बाँका–2 द्वारा प्रश्नगत् प्राथमिकी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बाँका–2 के मौखिक आदेश पर दर्ज करायी गई है, जिसमें श्री शंभू कुमार, कनीय अभियंता गवाह हैं।

अतः उपर्युक्त आलोक में श्री शंभू कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–2, सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

6. श्री कुमार के निलंबन अवधि के विनियमन पर निर्णय बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत उनसे अभ्यावेदन प्राप्त कर अभ्यावेदन के फलाफल के आधार पर लिया जाएगा।

7. इस निलंबन से मुक्त होने के फलस्वरूप श्री कुमार अपना योगदान विभाग में समर्पित करेंगे।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– 2/अ०प्र०–1–91/2020(खंड) 147 /पटना/दिनांकः– 18.1.21

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, दरभंगा, मुंगेर एवं भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–2/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री शंभू कुमार, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बाँका–2, सम्प्रति मुख्यालय– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, दरभंगा का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–91/2020(खंड) 147 /पटना/दिनांकः– 18.1.21

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, बाँका, दरभंगा एवं निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/1/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–1–91/2020(खंड) 147 /पटना/दिनांकः– 18.1.21

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/1/21

अभियंता प्रमुख